शहरी आयुष्मान आरोग्यम मंदिर, सुन्दर नगर, टोहाना के लिए भवन किराये पर लेने हेतु नियम व शर्ते :–

1. सरकारी बिल्डिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. भवन के लिए ऐरिये के नगर परिषद/पालिका से NOC उपलब्ध करवाना होगा।
3. किराये के लिए लिये गये भवन में स्टॉफ के बैठने तथा अन्य समान रखने के लिए कम–से–कम 4–5 कमरे, फार्मेसी, पैंट्री तथा 2–3 शौचालय होना चाहिए।
4. जिस भवन में सभी कमरे भूतल पर होंगे उन भवन मालिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. भवन के किराये का मांग पत्र भी आवेदन के साथ सलंग्न करे। किराये के निर्धारण का अंतिम निर्णय कमेटी द्वारा किया जायेगा।
6. सभी प्रकार की मुरम्मत (टूट–फूट, दीमक, सफेदी, पेंट आदि) करवाने की जिम्मेवारी मकान मालिक की ही होगी (At His Own Cost) अन्यथा मासिक किराये में से उपरोक्त खर्चे की 20% कटौती हर महिने की जायेगी।
7. मकान मालिक को 3 Face Meter/Single Face का मीटर जिसका लोड कम–से–कम 5KW हो लगवाकर देना होगा तथा संबंधित आवश्यक फिटिंग करवाकर देनी होगी।
8. किराये पर लिए जाने वाले भवन में प्रयोग किये जा रहे बिजली, पानी तथा सीवर के बिल का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा। इससे पूर्व के भवन के सभी प्रकार के भुगतान मकान मालिक द्वारा करके उनके बिलों की प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाना आवश्यक है (No Dues Certificate)।
9. अनुबंध की अवधि कम–से–कम तीन वर्ष तक रहेगी जोकि स्वास्थ्य विभाग की समय–समय से हुए परिवर्तन के हिसाब से परिवर्तनशील होगी।
10. मकान मालिक द्वारा कम–से–कम तीन माह का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
11. अनुबंध को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार पूर्ण रूप से स्वास्थ्य विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
12. तय किये गये किराये में 05 वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी बढ़ोतरी नही की जायेगी।
13. किराये पर लिये गये भवन के लिए बिजली पानी की नियमित सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी मकान मालिक की होगी।
14. किराये पर दिये जाने वाले भवन टूटी–फूटी और उबड़–खाबड़ रास्ते की बजाये चौड़े, साफ सुथरी व मेन रोड़ वाले भवन को प्राथमिकता दी जायेगी।
15. किराये पर दिये जाने वाले भवन में कोई भी स्थान टूट–फूट वाला नही होना चाहिए।
16. मकान मालिक को भवन किराये पर देते वक्त भवन की रजिस्ट्री की प्रमाणिता फोटो कॉपी इस कार्यालय में जमा करवानी होगी। जिसमें यह प्रमाण हो कि भवन उसनके नाम है। रजिस्ट्री प्रस्तुत नही करने पर मकान मालिक को हलफनामा देना होगा कि मकान उसके नाम पर ही है तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेवार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

17. कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी भवन को किराये पर लेने से पूर्व उसका निरीक्षण कर सकती है तथा इसके अतिरिक्त कमेटी को किसी भी भवन को किराये पर लेने व न लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

18. भवन में अस्थायी संसोधन (Temporary Modification) स्वास्थ्य परियोजनाओं के संचालन हेतु किया जा सकता है। अतः मकान मालिक को सहमति देनी होगी तथा अस्थायी संसोधन (Temporary Modification) में लगे साजों सामान पर दावा मान्य नही होगा।

19 सरकार द्वारा किसी भी समय हिदायतों में किसी भी प्रकार के बदलाव/मकान खाली करने बारे मकान मालिक द्वारा बिना शर्त मान्य होगी।

20. एक भवन मालिक केवल एक ही संस्था के लिए आवेदन कर सकता है।

नोट :–

1. **आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति ही स्वीकार की जायेगी तथा सीलबंद लिफाफे में सिविल सर्जन कार्यालय, फतेहाबाद में जमा करवाना होगा।**

2. **नियमों में किसी भी प्रकार के बदलाव करने का पूरा अधिकार कार्यालय सिविल सर्जन, फतेहाबाद को होगा।**

3. **नियम व शर्तो की कापी हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी। नियम व शर्तो की हस्ताक्षर सहित कापी साथ जमा न करवाने पर आवेदन पत्र मान्य नही होगा।**

Dy. Civil Surgeon
Fatehabad.

Scanned with OKEN Scanner